

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (मुण्ड-3) विभाग

कमांक-प. 5(1) साप्र/3/11

जयपुर, दिनांक 22-5-2012

—परिपत्र—

प्राप्त: यह देखने में आया है कि टेलीफोन हेतु पात्र अधिकारीगण का अन्य विभाग/कार्यालय से शासन सचिवालय में स्थानान्तरण/पदस्थापन होने पर अथवा शासन सचिवालय में ही एक विभाग/कार्यालय से अन्य विभाग/कार्यालय में स्थानान्तरण/पदस्थापन होने पर अपने पूर्व पदनाम से ही आवंटित राजकीय टेलीफोन अथवा निजी टेलीफोन का सामान्य प्रशासन विभाग की बिना पूर्वानुमति/रवीकृति के उपयोग करते रहते हैं तथा बिल भुगतान/पुनर्मरण हेतु मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवा दिये जाते हैं।

जिससे कठिपथ प्रकरणों में वित्तीय अनिवार्यता/ऑडिट अधेष्ठ की रिपोर्ट उत्पन्न हो जाती है। वही टेलीफोन बिलों का भुगतान यथासमय न होने से सरदार राशि का अनावश्यक वित्तीय भार राजकोष पर पड़ता है वही भुगतान को अनाव में टेलीफोन का सम्बन्ध विच्छेद भी हो जाता है।

उक्त परिपेक्ष में समय समय पर जारी परिपत्र के अनुक्रम में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।


1. अधिकारीगण का स्थानान्तरण होने पश्चात् पूर्व पदनाम से आवंटित निवासीय/ कार्यालय टेलीफोन को नवीन पदनाम हेतु यथावत रखने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। जिसे अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। कार्यालय हेतु यदि नवीन कमरा आवंटित किया जाता है और उस कमरे में स्थापित टेलीफोन का उपयोग कार्यालय कार्य हेतु किया जाना है तो इसके लिए कार्यालय टेलीफोन अपने वर्तमान पदनाम व कमरा संख्या के नाम से आवंटित करवा लेये।
2. बिल में करेंट चार्ज/एडजेस्टमेंट में अकिल राशि दोनों का योग करने पश्चात् बांधित राशि को प्रमाणित कर बिल लेखाशाखा को भिजवाये जाये इसे सुनिश्चित करने की कृपया व्यवस्था करावें।
3. कार्यालय निवास व मोदाइल बिल को भुगतान हेतु लेखाशाखा भेजे जाने से पूर्व इन बिलों का इंद्राज इस विभाग के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 31.1.95 के अनुसार अपनी विभागीय संघारित पंजिका में इसकी प्रवृटि कर पंजिका लो हमेशा अपडेट रखा जाये और इसका समय सामय पर आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाये।
4. निवास पर राजकीय टेलीफोन स्थापित होने पर आवंटित नवीन नम्बर के साथ स्थापित होने की तिथि से सामान्य प्रशासन विभाग को यथासमय सूचित कर दिया जाये।
5. कार्यालय/निवास के टेलीफोन बिलों का भुगतान नियन्त्रित तौर पर किया जाये इसे विभाग में संघारित रजिस्टर से भी सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि बिल में प्रीवियस बकाया राशि दर्शायी जाये तो संबंधित क्षेत्र के लेखाधिकारी से सम्पर्क कर लिया जाये और बकाया राशि के बुल्लीकैट बिल आवश्यकतानुसार प्राप्त कर उनके भुगतान की अधिन कार्यवाही किये जाने की सुनिश्चितता कर ली जाये।
6. टेलीफोन यदि निवास पर शिफ्ट होने में बिलम्ब हो रहा है तो तत्काल संबंधित क्षेत्र के राजाम अधिकारी से सम्पर्क कर स्थापित करवा लिया जाये।
7. अदेयता प्रमाण पत्र के समय जमा कराये जाने टेलीफोन का यंत्र वर्किंग कार्डीशन में हो इसे सुनिश्चित कर लिया जाये।
8. यदि अधिकारी के स्थानान्तरण पश्चात् टेलीफोन का बिल विभाग को प्राप्त हो तो उसे संबंधित अधिकारी को प्रमाणित करने के लिए विभाग स्वयं अपने रत्तर से ही प्रेषित कर देगा एवं प्रति सूचनार्थ सामान्य प्रशासन विभाग को भी दे दी जाये।

अतः तभी टेलीफोन हेतु पात्र अधिकारीगण से यह आशा की जाती है कि उक्त दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना कराये जाने की कृपया व्यवस्था करावें।


प्रमुख सचिव सचिव

प्रतिलिपि निम्नान्तर लो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- 2- निजी सचिव, अधिकारी, मुख्य सचिव।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव।
- 5- निजी सहायक, उप शासन सचिव/विशेषाधिकारी/अन्य समकक्ष अधिकारी।
- 6- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि बिल भुगतान करने से पूर्व इस विभाग के आदेश दिनांक 5.8.11 तक समय पर जारी आदेशों के परिपेक्ष में बिल भुगतान करने से पूर्व गहनता के साथ जीच कर ली जाये कि जो दिल प्रस्तुत किया गया है उसके लिए विशेष रूप से सभी औपचारिकतावां यथा सामान्य प्रशासन विभाग स्वीकृति पूर्ण कर ली गयी है एवं नियन्त्रित वित्तीय सीमान्तर्गत ही भुगतान/पुनर्मरण हो इसे सुनिश्चित कर लिया जाये।


उप शासन सचिव